01/06/15	निगरानी कर्ता अधिवक्ता पेश हुये। अधिवक्ता [illegible] को बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अभिलेख का अवलोकन किया गया। निगरानी पत्रावली के विरुद्ध प्रस्ताव प्र. 335 दि. 22/10/1985 ग्राम पंचायत [illegible] [illegible] निगरानी अधिकार का [illegible] पट्टाशुदा [illegible] पर [illegible] में पट्टाशुदा [illegible] कर दिया [illegible] अधिकार का [illegible] के रूप में [illegible] हुआ [illegible] के [illegible], [illegible], [illegible] [illegible]

जारी

वोटर लिस्ट, राशन कार्ड पेश किये हैं उनमें नानगे पुत्र महादू है। ग्राम पंचायत सुजानपुरा ने भी नाम संशोधन हेतु प्रस्ताव पारित किया है। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में प्रार्थी/गवाह मदन लाल श्री. महादू, भंवर लाल [illegible] श्री. महादू व फूलगड़ी पत्नी स्व. महादू के शपथ पत्र पेश किये हैं जिनके अनुसार अपीलांट का सभी अभिलेखों में नानगे पुत्र महादू नाम सही अंकित है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सभी अभिलेख में अपीलांट का सही नाम है अपीलांट के नानगे पुत्र महादू नाम है अपीलांट का सही [illegible] व नाम नानगे ही, [illegible] नाम [illegible] न होकर नानगे [illegible] किये जाने हेतु अपील विलम्ब का कारण पेश किये हैं इसलिए हेतु [illegible] व शपथ पत्र पेश किया जाता है। उपरोक्त हेतु के समय को क्षमा किया जाता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विवरण अनुसार अपील [illegible] दिनांक 22/10/1985 [illegible] नामांतरण सं. 335 दि. 22/10/1985 [illegible] ग्राम पंचायत सुजानपुरा तहसील दांतारामगढ का [illegible] अभिलेख संशोधन किये जाने हेतु [illegible] नामांतरण निरस्त किया जाता है कि अपीलांट [illegible] नामांतरण सं. 335 को नियमानुसार सुनवाई ग्राम पंचायत सुजानपुरा को दि. 22/10/1985 [illegible] दर्ज करें। तहसील जाकर पुनः [illegible] हो। मिसल [illegible] हो।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ